रजिस्ट्री सं. जी-3/डीएल (एन)-04/0009/2003—05 REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003—05

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-सा.-20032024-253248
SG-DL-W-20032024-253248

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 3] दिल्ली, मार्च 1— मार्च 7, 2024, बृहस्पतिवार/फाल्गुन 11— फाल्गुन 17, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 456, 458

No. 3] DELHI, MARCH 1—MARCH 7, 2024, THURSDAY/PHALGUNA 11— PHALGUNA 17, 1945 [N.C.T.D. No. 456, 458

भाग —IV
PART –IV

भाग- I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं

Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालयः नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

सं.14/सीएफएम/डीएचसी/2024.—माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रि.या.(सि.) सं. 643/2015 शीर्षक ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन बनाम भारत संघ में दिनांक 04/01/2024 को पारित निर्णय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित 'ज़िला न्यायपालिका की सेवा शर्तों हेतु समिति' (सीएससीडीजे), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ज़िला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों और पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को वेतन और पेंशन के बकाया भुगतान सहित उनके वेतन, पेंशन, भत्ते और सभी संबद्ध मामलों के संबंध में दावों के निपटान और भत्तों के संवितरण की सुविधा प्रदान करने हेतु द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक

वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशों के उचित कार्यान्वयन के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथा अनुमोदित, निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करती है।

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रि.या.(सि.) सं.643/2015 में पारित निर्णय दिनांक 04/01/2024 द्वारा यथा अनुमोदित भत्तों और अन्य संबद्ध मामलों से सम्बंधित दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यालय आदेश/अधिसूचना जारी करेगी और निर्धारित समय-सीमा के अनुसार इसे तुरंत लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। सीएससीडीजे के निर्देशानुसार, अनुपालन रिपोर्ट इस न्यायालय के महानिबंधक को प्रस्तुत की जाएगी।

2. यदि सीएससीडीजे को यह उचित लगता है कि किसी भत्ते या संबद्ध मामले के संबंध में कोई स्पष्टीकरण या आगे के निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है, तो सीएससीडीजे:

(i) ऐसे मामले में उस प्राधिकारी/एजेंसी को आवश्यक दिशा-निर्देश/ स्पष्टीकरण जारी कर सकता है जो वह उचित समझे और वह ऐसे निर्देशों को तुरंत लागू करेगा; या

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को ऐसे भत्तों या संबद्ध मामलों के संबंध में ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो वह आवश्यक समझे। वह सीएससीडीजे की सिफ़ारिशों की प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेने के बाद, जैसा भी मामला हो, आवश्यक स्पष्टीकरण/पूरक कार्यालय आदेश/अधिसूचना जारी करेगी और इसे तुरंत लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

3. कार्यालय आदेश/अधिसूचना में यथा अनुमोदित प्रत्येक भत्ते और संबद्ध मामलों के संबंध में प्रभावी होने की तिथियों और सभी प्रासंगिक विवरणों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा, साथ ही खाते के उस मुख्य/लघु शीर्ष को भी दर्शाया जाएगा जिसमें से दावे/भत्ते - वर्तमान या बकाया, आहरित/प्रतिपूर्ति किए जाने हैं।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर भत्ते/लाभ/बकाया के आहरण के लिए विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का वित्त विभाग संबंधित विभागाध्यक्षों/आ. एवं सं.अ. द्वारा नियंत्रित खाते के उचित शीर्ष में समय पर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराएगा।

5. यदि किसी सेवारत न्यायिक अधिकारी/पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पिछले निर्देशों के अनुसार उनके संबंधित विभागाध्यक्षों/आ. एवं सं.अ. द्वारा वेतन/पेंशन/पारिवारिक पेंशन/लाभ/ बकाया, यदि हो, का संवितरण नहीं किया गया है तो इसका भुगतान तत्काल प्रभाव से किया जाएगा और अनुपालन रिपोर्ट इस न्यायालय के महानिबंधक को प्रस्तुत की जाएगी।

6. अनुसूची में निर्दिष्ट सरकारी प्राधिकारीगण को एतद् द्वारा वेतन/पेंशन/पारिवारिक पेंशन/भत्तों/लाभों/बकाया आदि के सुचारू संवितरण और दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अन्य सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में घोषित किया जाता है।

7. अनुसूची में निर्दिष्ट प्राधिकारीगण यह देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को भुगतान योग्य देय वेतन/पेंशन/पारिवारिक पेंशन/भत्ते/लाभ/बकाया आदि का संवितरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार समय पर किया जाए व न्यायिक अधिकारियों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को कोई असुविधा न हो।

8. प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हज़ारी न्यायालय, दिल्ली के कार्यालय में एक “शिकायत निवारण प्रकोष्ठ” का गठन किया जाएगा। प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) उक्त प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होंगे। प्रकोष्ठ में, प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) द्वारा नामित एक या एक से अधिक न्यायिक अधिकारी भी शामिल होंगे। सेवानिवृत्त

न्यायिक अधिकारी, जो 'सीएससीडीजे" का एक नामित सदस्य है, दैनंदिन शिकायतों के निवारण हेतु प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

9. यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के किसी न्यायिक अधिकारी/पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को वेतन, भत्ते, पेंशन, पारिवारिक पेंशन, बकाया, लाभ या अन्य संबद्ध मामलों के भुगतान के संबंध में कोई शिकायत हो तो वह प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हज़ारी न्यायालय, दिल्ली को अपना लिखित अभ्यावेदन दे सकते हैं। अभ्यावेदन/ शिकायत को "शिकायत निवारण प्रकोष्ठ" द्वारा निपटाया जाएगा, जो आवश्यकतानुसार ऐसे संबंधित प्राधिकारीगण की टिप्पणियां मांग सकता है और उसके बाद शिकायत/अभ्यावेदन का निपटान कर सकता है। प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) आवश्यकतानुसार ऐसे अन्य प्राधिकारीगण के साथ समन्वय से निर्णय को लागू कराएंगे।

10. यदि न्यायिक अधिकारी/पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी अब भी अपनी शिकायत/अभ्यावेदन के संबंध में प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) के निर्णय से संतुष्ट नहीं है अथवा यदि शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के निर्णय को पर्याप्त समय के भीतर लागू नहीं किया गया तो वह 'सीएससीडीजे' को एक और अभ्यावेदन दे सकता है। ऐसे अभ्यावेदन में इस न्यायालय के महानिबंधक को संबोधित किया जाएगा। 'सीएससीडीजे' का प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, महानिबंधक की मंज़ूरी से व मामले में आवश्यकतानुसार, संबंधित प्राधिकारीगण से टिप्पणियां मांगेगा और उसके बाद मामले को 'सीएससीडीजे' के समक्ष रखेगा। 'सीएससीडीजे' सम्बंधित एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन हेतु इस मामले में उचित निर्देश पारित कर सकता है। 'सीएससीडीजे' का प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ऐसे कर्मचारियों की सहायता लेगा, जिसे महानिबंधक द्वारा निर्देशित किया गया हो।

11. प्रत्येक ज़िले के प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश संबंधित ज़िले के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों का एक डेटाबेस तैयार करेंगे और उसे कम से कम त्रैमासिक आधार पर समय-समय पर अद्यतन करने की प्रक्रिया के साथ बनाए रखेंगे और इसे दिल्ली ज़िला न्यायालयों की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) सभी ज़िलों के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाएंगे, जिसे भी दिल्ली ज़िला न्यायालयों की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

12. यदि कोई न्यायिक अधिकारी/पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी/दिल्ली न्यायिक सेवा संघ/ दिल्ली का कोई सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी संघ, कोई सामान्य शिकायत करता है या न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों या पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों से संबंधित कोई अन्य सामान्य मामले में अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है तो इसे 'सीएससीडीजे' के समक्ष भेजा जाएगा। इस प्रकार का अभ्यावेदन इस न्यायालय के महानिबंधक को संबोधित किया जाएगा। 'सीएससीडीजे' का प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, महानिबंधक की मंज़ूरी से, प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश और/या किसी अन्य संबंधित प्राधिकारी की टिप्पणियां मांगेगा और उसके बाद मामले को 'सीएससीडीजे' के समक्ष रखेगा। 'सीएससीडीजे' संबंधित एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उचित निर्देश जारी कर सकता है या सक्षम प्राधिकारी की मंज़ूरी और उसके कार्यान्वयन के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को उपयुक्त सिफारिशें कर सकता है।

13. 'सीएससीडीजे' समय-समय पर, ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो उसके विचार में एसओपी के उचित कार्यान्वयन के लिए या उसके प्रबंधन में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक हो या एसओपी में संशोधन/आशोधन कर सकता है।

कंवल जीत अरोड़ा, महानिबंधक

अनुसूची

नोडल एजेंसियां	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पता	ईमेल आईडी और संपर्क विवरण
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार			
मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	श्री नरेश कुमार	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, तीसरा स्तर, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली - 110002	ईमेल आईडी: csdelhi@nic.in संपर्क: +91-11-233921 00+ 91-11- 23392101
प्रधान सचिव, विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	श्री भारत पाराशर	विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, आठवां स्तर, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, प्लेयर्स बिल्डिंग, आई.पी इस्टेट, नई दिल्ली - 110002	ईमेल आईडी:slaw@nic.in संपर्क:23392023 (टेलीफ़ैक्स)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	श्री आशीष चन्द्र वर्मा	वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, चौथा स्तर, ए-विंग, दिल्ली सचिवालय, आईपी इस्टेट, नई दिल्ली	ईमेल आईडी: psfin@nic.in संपर्क: 011- 23392130, 23392131
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	डॉ. एस.बी. दीपक कुमार	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, 9वां स्तर, ए-विंग, आईपी एक्सटेंशन, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली- 110002	ईमेलआईडी:pshealth@nic.in संपर्क: 011-23392017
प्रधान सचिव, सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	श्री अनिल कुमार सिंह	सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय परिसर, 5वां स्तर, बी-विंग और 5वां स्तर, ए-विंग, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली-110002.	ईमेलआईडी:secservices @nic.in संपर्क: +91-011- 23392142

प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	श्री ए. अनबरसु	तीसरी मंजिल, एमएसओ बिल्डिंग, आईपी इस्टेट, नई दिल्ली-110002	ईमेल: आईडी: pspwd@nic.in संपर्क: 011-23392065
दिल्ली उच्च न्यायालय			
महानिबंधक, दिल्ली उच्च न्यायालय	श्री कंवल जीत अरोड़ा	महानिबंधक, दिल्ली उच्च न्यायालय, शेरशाह रोड, नई दिल्ली – 110503	ईमेल: rg.dhc@nic.in संपर्क: 011-23387989
निबंधक (नकदी, बजट और लेखा)	सुश्री वंदना कैरोन	निबंधक (नकदी, बजट और लेखा), दिल्ली उच्च न्यायालय, शेरशाह रोड, नई दिल्ली – 110503	ईमेल: rba.dhc@gov.in संपर्क: 011-23381064
दिल्ली जिला न्यायालय			
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), केंद्रीय, टीएचसी	श्री नरोत्तम कौशल	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) कार्यालय, केन्द्रीय, टीएचसी, दिल्ली	ईमेल: pdj-central @ddc.nic.in संपर्क: 011- 2395 0919
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली, पीएचसी	श्री संजय गर्ग-I	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, नई दिल्ली, पीएचसी, दिल्ली	ईमेल: Pdj-newdelhi@ddc.nic.in संपर्क: 011-23384209
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर-पश्चिम, रोहिणी	श्री विमल कुमार यादव	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, उत्तर-पश्चिम, रोहिणी, दिल्ली	ईमेल: Pdj-northwest@ddc.nic.in संपर्क: 011-27554450
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण-पश्चिम, द्वारका	श्री प्रवीण कुमार	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, दक्षिण-पश्चिम, द्वारका, दिल्ली	ईमेल: Pdj-southwest@ddc.nic.in संपर्क: 011-28042850
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम, टीएचसी	श्री विनोद कुमार	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, पश्चिम, टीएचसी, दिल्ली	ईमेल: Pdj-west@dde.nic.in संपर्क: 011-239509 19
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व, कड़कड़डूमा	सुश्री शैल जैन	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, पूर्व, कड़कड़डूमा, दिल्ली	ईमेल: Pdj-east @ ddc. nic.in संपर्क: 011-22101491

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण, साकेत	सुश्री मधु जैन	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, दक्षिण, साकेत, दिल्ली	ईमेल: Pdj-south@ddc.nic.in संपर्क: 011-29574500
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहदरा, कड़कड़डूमा	सुश्री रेनू भटनागर	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, शाहदरा, कड़कड़डूमा, दिल्ली	ईमेल: Pdj-shahdara@ddc.nic.in संपर्क: 011-22101490
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर-पूर्व, कड़कड़डूमा	श्री वीरेन्द्र कुमार बंसल	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, उत्तर-पूर्व, कड़कड़डूमा, दिल्ली	ईमेल: Pdj-northeast@ddc.nic.in संपर्क: 011-22 101492
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर, रोहिणी	सुश्री सीमा मैनी	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, उत्तर, रोहिणी, दिल्ली	ईमेल: Pdj-north@ddc.nic.in संपर्क: 011-27554450
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) (सीबीआई), आरएसीसी	सुश्री अंजू बजाज चांदना	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) (सीबीआई) आरएसीसी कार्यालय, दिल्ली	ईमेल: Pdj-racc(@ddc.nic.in संपर्क: 011-20836136
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण-पूर्व, साकेत	श्री रजनीश कुमार गुप्ता	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, दक्षिण-पूर्व, साकेत, दिल्ली	ईमेल: Pdj-southeast@ddc.nic.in संपर्क: 011-29574545
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय (मुख्यालय), दक्षिण-पश्चिम, द्वारका	सुश्री सरिता बीरबल	प्रधान न्यायाधीश कार्यालय, परिवार न्यायालय (मुख्यालय), दक्षिण-पश्चिम, द्वारका, दिल्ली	ईमेल: delhifamilycourts@gmail.com संपर्क: 011-29574500
अन्य विभाग			
सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	श्री मुकेश कुमार गुप्ता	तीसरी मंजिल, राउज़ एवेन्यू ज़िला न्यायालय परिसर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली, 110002	ईमेल: dslsa@gov.in संपर्क: 011-23232781

निदेशक (प्रशासन), दिल्ली न्यायिक अकादमी	श्री मनमोहन शर्मा	दिल्ली न्यायिक अकादमी, दिल्ली न्यायिक अकादमी और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए एकीकृत परिसर, सेक्टर-14, द्वारका, नई दिल्ली- 110078	ईमेल: dja@nic.in संपर्क: 011-20892 191
सरकार के सभी न्यायाधिकरणों/ कार्यालयों/संस्थानों के विभागाध्यक्ष जहां न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं या प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर चुके हैं।	–	–	–

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 29th February, 2024

No. 14/CFM/DHC/2024.—In compliance of the directions given by the Hon'ble Supreme Court of India vide Judgment dated 04.01.2024 passed in W.P.(C) No. 643 of 2015 titled as All India Judges' Association v. Union of India, the 'Committee for Service Conditions of the District Judiciary' (CSCDJ), constituted by Hon'ble the Acting Chief Justice of the High Court of Delhi, formulates the following Standard Operating Procedure (SOP) for the proper implementation of the recommendations of the Second National Judicial Pay Commission (SNJPC) , as approved by the Hon'ble Supreme Court, with respect to pay, pension, allowances and all allied matters and to facilitate settlement of claims and disbursal of allowances, including the payment of arrears of salary and pension to the judicial officers and pensioners/ family pensioners of the district judiciary of the NCT of Delhi:

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

1. The Government of NCT of Delhi shall, after approval of the competent authority, issue requisite Office Order(s)/ Notification(s), regarding implementation of the recommendations of the Second National Judicial Pay Commission with respect to allowances and other allied issues as approved by the Hon'ble Supreme Court of India vide Judgment dated 04.01.2024 passed in W.P. (C) No. 643 of 2015 and shall take all requisite steps to immediately implement the same as per the stipulated timeline. Compliance reports shall be submitted to the Registrar General of this Court as per the directions of the CSCDJ.

2. In case the CSCDJ deems it appropriate that any clarification or further directions are required to be issued in respect of any allowance or allied issue, the CSCDJ may:

(i) issue necessary directions/ clarifications in the matter to such authority/agency as deemed appropriate which shall immediately implement such directions; or

(ii) make such recommendations as it deems necessary with respect to such allowance(s) or allied issue(s) to the Government of NCT of Delhi which shall issue requisite clarificatory/supplementary office order(s)/ notification(s), as the case may be, after seeking approval of the competent authority, within 14 days of receipt of the recommendation(s) of the CSCDJ, and shall take all requisite steps to immediately implement the same.

3. The office order(s)/ notification(s), shall clearly reflect the effective dates and all relevant details with respect to every allowance and allied issue as approved along with the major/ minor heads of Account from which the claims/ allowances - current or arrears, are to be drawn/ reimbursed.

4. The Department of Law, Justice and Legislative Affairs and the Finance Department of the Govt. of NCT of Delhi shall timely place sufficient funds in appropriate head(s) of account at the disposal of the respective Heads of Department / DDOs for the drawal of the allowances/benefits/arrears within the stipulated timeline as fixed by the

Hon'ble Supreme Court of India.

5. In case salary/pension/family pension/benefits/arrears, if any, to any serving judicial officer/ pensioner/family pensioner have not been disbursed as per the previous directions of the Hon'ble Supreme Court, by their respective Heads of Department/DDOs, the same shall be paid with immediate effect and compliance reports shall be submitted to the Registrar General of this Court.

6. The Government Authorities specified in the Schedule are hereby declared as the Nodal Agencies for the smooth disbursement of salary/pension/family pension/allowances/benefits/arrears etc. and implementation of other recommendations of the Second National Judicial Pay Commission.

7. The authorities specified in the Schedule shall oversee and ensure that the disbursement on account of salary/ pension/ family pension/allowances/benefits/arrears etc. due and payable to the judicial officers, retired judicial officers and family pensioners is timely made as per the directions of the Hon'ble Supreme Court and without any inconvenience to judicial officers/pensioners/family pensioners.

8. A 'Grievance Redressal Cell' shall be constituted in the office of the Principal District and Sessions Judge (HQ), Tis Hazari Courts, Delhi. The Principal District and Sessions Judge (HQ) shall be the Chairperson of the said Cell. The Cell shall also consist of one or more judicial officers, to be nominated by the Principal District and Sessions Judge (HQ). The retired judicial officer, who is a nominated member of CSCDJ, shall function as the nodal officer of the Cell for the day to day redressal of grievances.

9. In case any judicial officer/pensioner/family pensioner of the NCT of Delhi has any grievance with respect of payment of salary, allowances, pension, family pension, arrears, benefits or other allied issues he may make a representation in writing to the Principal District and Sessions Judge (HQ), Tis Hazari Courts, Delhi. The representation/ grievance shall be dealt with by the 'Grievance Redressal Cell', which may seek the comments of the concerned authorities, as may be required and thereafter dispose of the grievance/ representation. The Principal District and Sessions Judge (HQ) shall get the decision implemented in coordination with such other authorities as may be required.

10. In case the judicial officer/pensioner/family pensioner is still not satisfied with the decision of Principal District and Sessions Judge (HQ) with respect to his grievance/representation or in case the decision of the Grievance Redressal Cell is not implemented within a reasonable time, he/ she may make a further representation to the CSCDJ. Such representation shall be addressed to the Registrar General of this Court. The Presenting Officer of the CSCDJ shall, with the approval of the Registrar General, seek the comments of the concerned authorities, as may be required in the matter and thereafter place the matter before the CSCDJ. The CSCDJ may pass appropriate directions in the matter for implementation by the concerned agencies. The Presenting Officer of the CSCDJ shall be assisted by such staff as may be directed by the Registrar General.

11. The Principal District and Sessions Judge of every district shall prepare and maintain a database of retired Judicial Officers and family pensioners of the concerned district with a process for periodical updating, at least on a quarterly basis and the same shall be uploaded on the website of the Delhi District Courts. The Principal District and Sessions Judge (HQ) shall maintain a centralized database of retired Judicial Officers and family pensioners of all districts which shall also be uploaded on the website of the Delhi District Courts.

12. In case any judicial officer/pensioner/family pensioner/Judicial Service Association of Delhi/any retired Judicial Officers Association of Delhi raises a common grievance or makes any other representation with respect to the service conditions of judicial officers or any other issue relating to pensioners/family pensioners in general, the same may also be made to the CSCDJ. Such representation shall be addressed to the Registrar General of this Court. The Presenting Officer of the CSCDJ shall with the approval of the Registrar General seek the comments of the Principal District and Sessions Judge(s) and/or any other concerned authority and thereafter place the matter before the CSCDJ. The CSCDJ may pass appropriate directions in the matter for implementation by the concerned agencies or may make suitable recommendations to the Government of NCT of Delhi for approval of the competent authority and implementation thereof.

13. The CSCDJ may, from time to time, issue such directions as it may consider necessary for the proper implementation of the SOP or for the purpose of removing any difficulty which may arise in the administration thereof or may amend/ modify the SOP.

KANWAL JEET ARORA, Registrar General

SCHEDULE

Nodal Agencies	**Name of the Officer/Official**	**Address**	**Email Id and Contact Details**
Government of NCT of Delhi			
Chief Secretary, Government of NCT of	Shri Naresh Kumar	Government of National Capital Territory of Delhi,	E-Mail Id: csdelhi@nic.in Contact: +91-11-23392100

Delhi		3rd level, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi-110002	+91-11-23392101
Principal Secretary, Department of Law Justice and LA, Government of NCT of Delhi	Shri Bharat Parashar	Department of Law, Justice & Legislative Affairs, 8th level, C-Wing, Delhi Secretariat, Players Building, i.p. Estate, New Delhi – 110002.	E-Mail Id: slaw@nic.in Contact: 23392023 (telefax)
Principal Secretary, Finance Department, Government of NCT of Delhi	Shri Ashish Chandra Verma	Finance Department, Government of NCT of Delhi, 4th Level, A Wing, Delhi Secretariat, IP Estate, New Delhi	E-Mail Id: psfin@nic.in Contact: 011-23392130, 23392131
Principal Secretary, Department of Health & Family Welfare, Government of NCT of Delhi	Dr. S.B. Deepak Kumar	Department of Health & Family Welfare, 9th Level, A-Wing, IP Extension, Delhi Secretariat, Delhi - 110002	E-Mail Id: pshealth@nic.in Contact: 011-23392017
Principal Secretary, Services Department, Government of NCT of Delhi	Shri Annil Kumar Singh	Services Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat Complex, 5th Level, B-Wing & 5th Level, A-Wing, I. P. Estate, New Delhi-110002.	E-Mail Id: secservices@nic.in Contact: +91-011- 23392142
Principal Secretary, Public Works Department, Government of NCT of Delhi	Shri A. Anbarasu	3rd Floor, MSO Building, I.P. Estate, New Delhi - 110002	E-Mail Id: pspwd@nic.in Contact: 011- 23392065
High Court of Delhi			
Registrar General, High Court of Delhi	Shri Kanwal Jeet Arora	Registrar General, Delhi High Court, Sher Shah Road, New Delhi - 110503	E-Mail Id: rg.dhc@nic.in Contact: 011-23387989
Registrar (Cash, Budget and Accounts)	Ms. Vandana Kairon	Registrar (Cash, Budget and Accounts), Delhi High Court, Sher Shah Road, New Delhi - 110503	E-Mail Id: rba.dhc@gov.in Contact: 011- 23381064
Delhi District Courts			
Principal District & Sessions Judge (Headquarters), Central, THC	Mr. Narottam Kaushal	Office of the Principal District & Sessions Judge (Headquarters), Central, THC, Delhi	E-Mail Id: pdj-central@ddc.nic.in Contact: 011 2395 0919
Principal District & Sessions Judge, New Delhi, PHC	Mr. Sanjay Garg - I	Office of the Principal District & Sessions Judge,New Delhi, PHC, Delhi	E-Mail Id: Pdj-newdelhi@ddc.nic.in Contact: 011-23384209
Principal District & Sessions Judge, North-West, Rohini	Mr. Vimal Kr. Yadav	Office of the Principal District & Sessions Judge, North-West, Rohini, Delhi	E-Mail Id: Pdj-northwest@ddc.nic.in Contact: 011-27554450
Principal District & Sessions Judge, South-West, Dwarka	Mr. Praveen Kumar	Office of the Principal District & Sessions Judge, South-West, Dwarka, Delhi	E-Mail Id: Pdj-southwest@ddc.nic.in Contact: 011-28042850
Principal District & Sessions Judge, West, THC	Mr. Vinod Kumar	Office of the Principal District & Sessions Judge, West, THC, Delhi	E-Mail Id: Pdj-west@ddc.nic.in Contact: 011-23950919
Principal District & Sessions	Ms. Shail Jain	Office of the Principal	E-Mail Id:

Judge, East, KKD		District & Sessions Judge, East, KKD, Delhi	Pdj-east@ddc.nic.in Contact: 011-22101491
Principal District & Sessions Judge, South, Saket	Ms. Madhu Jain	Office of the Principal District & Sessions Judge, South, Saket, Delhi	E-Mail Id: Pdj-south@ddc.nic.in Contact: 011-29574500
Principal District & Sessions Judge, Shahdara, KKD	Ms. Renu Bhatnagar	Office of the Principal District & Sessions Judge, Shahdara, KKD, Delhi	E-Mail Id: Pdj-shahdara@ddc.nic.in Contact: 011-22101490
Principal District & Sessions Judge, North-East, KKD	Mr. Virender Kr. Bansal	Office of the Principal District & Sessions Judge, North-East, KKD, Delhi	E-Mail Id: Pdj-northeast@ddc.nic.in Contact: 011-22101492
Principal District & Sessions Judge, North, Rohini	Ms. Seema Maini	Office of the Principal District & Sessions Judge, North, Rohini, Delhi	E-Mail Id: Pdj-north@ddc.nic.in Contact: 011-27554450
Principal District & Sessions Judge-cum-Special Judge (PC Act) (CBI), RACC	Ms. Anju Bajaj Chandna	Office of the Principal District & Sessions Judge-cum-Special Judge (PC Act) (CBI), RACC, Delhi	E-Mail Id: Pdj-racc@ddc.nic.in Contact: 011-20836136
Principal District & Sessions Judge, South-East, Saket	Mr. Rajneesh Kr. Gupta	Office of the Principal District & Sessions Judge, South-East, Saket, Delhi	E-Mail Id: Pdj-southeast@ddc.nic.in Contact: 011-29574545
Principal Judge, Family Courts (Headquarters), South-West, Dwarka	Ms. Sarita Birbal	Office of the Principal Judge, Family Courts (Headquarters), South-West, Dwarka, Delhi	E-Mail Id: delhifamilycourts@gmail.com Contact: 011-29574500
Other Departments			
Member Secretary, Delhi State Legal Service Authority	Shri Mukesh Kumar Gupta	3rd Floor, Rouse Avenue District Court Complex, Pandit Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi, 110002	E-Mail Id: dslsa@gov.in Contact: 011-2323781
Director (Administration), Delhi Judicial Academy	Shri Manmohan Sharma	Delhi Judicial Academy, Integrated campus for Delhi Judicial Academy and National Law University, Sector 14, Dwarka, New Delhi-110078	E-Mail Id: dja@nic.in Contact: 011-20892191
Heads of Department of all Tribunals /Offices/ Institutions of the Government where Judicial Officers are working or have worked on deputation	—	—	—

अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2024

सं.13/डी.एच.सी./गज़ट.IIबी/जी.8/स्पे.एम.एम/2024.—इस न्यायालय के माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशगण निम्नलिखित विशेष महानगर दंडाधिकारीगण का कार्यकाल दिनांक 31.07.2024 तक अथवा उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि तक, जो भी पहले हो, जैसा कि उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित है, के लिए सहर्ष बढ़ाते हैं:-

क्रम सं.	विशेष महानगर दंडाधिकारीगण का नाम	विस्तार की अवधि
1.	श्री उमेश चन्द्र शर्मा	01.02.2024 to 30.03.2024 (65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि)
2.	श्री सुरेश चन्द्र	01.02.2024 to 31.07.2024
3.	श्री वेद प्रकाश शर्मा	01.02.2024 to 31.07.2024
4.	श्री कांशी राम वर्मा	01.02.2024 to 31.07.2024
5.	श्री लल्लन सिंह	01.02.2024 to 31.07.2024
6.	श्री राम प्यारा	01.02.2024 to 31.07.2024
7.	श्री मुंशी राम बिहागरा	01.02.2024 to 04.04.2024 (65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि)
8.	श्री पदम् सिंह	01.02.2024 to 31.07.2024
9.	श्री सुदर्शन कुमार	01.02.2024 to 22.07.2024 (65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि)
10.	श्री पुरुषोत्तम दास सिवल	01.02.2024 to 31.07.2024
11.	श्री रामवीर सिंह	01.02.2024 to 31.07.2024
12.	श्री मिथिलेश चन्द्र पाण्डेय	01.02.2024 to 31.07.2024
13.	श्री रमेश चंद भाटी	01.02.2024 to 31.07.2024
14.	श्री राजिंदर कुमार गुप्ता	01.02.2024 to 31.07.2024
15.	सुश्री हरजीत कौर	01.02.2024 to 31.07.2024
16.	श्री ललित कुमार शर्मा	01.02.2024 to 31.07.2024
17.	श्री शैलेश लखटकिया	01.02.2024 to 31.07.2024
18.	श्री जय देव कुलेश	01.02.2024 to 31.07.2024
19.	सुश्री कुसुम लता सिंह	01.02.2024 to 31.07.2024
20.	श्री विक्रम सिंह	01.02.2024 to 06.07.2024 (65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि)
21.	श्री चन्दन सिंह मावरी	01.02.2024 to 31.07.2024
22.	श्री श्रीप्रकाश राय	01.02.2024 to 31.07.2024
23.	श्री सुनील कुमार	01.02.2024 to 31.07.2024

उपरोक्त नामित अधिकारी, द्वितीय शनिवार के अवकाश सहित सप्ताह में छह दिन कार्य करेंगे तथा दिल्ली लघु अपराध (विशेष महानगर दंडाधिकारी द्वारा विचारण) नियम, 1998 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार अवकाश हेतु अधिकृत होंगे।

न्यायालय के आदेशानुसार

डॉ. सौरभ कुलश्रेष्ठ, विशेष कार्याधिकारी (गजट-II)

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd February, 2024

No. 13/DHC/GAZ.IIB/G.8/SPL.MM/2024.—Hon'ble the Acting Chief Justice and Hon'ble Judges of this Court have been pleased to extend the term of the following Special Metropolitan Magistrates upto 31.07.2024 or till the date of their attaining the age of 65 years, whichever is earlier, as mentioned against their names:-

Sl. No.	**Names of Special MMs**	**Period of Extension**
1	Mr.Umesh Chandra Sharma	01.02.2024 to 30.03.2024 (date of attaining the age of 65 years)
2	Mr.Suresh Chandra	01.02.2024 to 31.07.2024
3	Mr.Ved Prakash Sharma	01.02.2024 to 31.07.2024
4	Mr.Kanshi Ram Verma	01.02.2024 to 31.07.2024
5	Mr.Lallan Singh	01.02.2024 to 31.07.2024
6	Mr.Ram Pyara	01.02.2024 to 31.07.2024
7	Mr.Munshi Ram Bihagra	01.02.2024 to 04.04.2024 (date of attaining the age of 65 years)
8	Mr.Padam Singh	01.02.2024 to 31.07.2024
9	Mr.Sudershan Kumar	01.02.2024 to 22.07.2024 (date of attaining the age of 65 years)
10	Mr.Purushotam Dass Siwal	01.02.2024 to 31.07.2024
11	Mr.Ramvir Singh	01.02.2024 to 31.07.2024
12	Mr.Mithilesh Chandra Pandey	01.02.2024 to 31.07.2024
13	Mr.Ramesh Chand Bhati	01.02.2024 to 31.07.2024
14	Mr.Rajinder Kumar Gupta	01.02.2024 to 31.07.2024
15	Ms.Harjeet Kaur	01.02.2024 to 31.07.2024
16	Mr.Lalit Kumar Sharma	01.02.2024 to 31.07.2024
17	Mr.Shailesh Lakhtakia	01.02.2024 to 31.07.2024
18	Mr.Jai Dev Kulesh	01.02.2024 to 31.07.2024
19	Ms.Kusum Lata Singh	01.02.2024 to 31.07.2024
20	Mr.Vikram Singh	01.02.2024 to 06.07.2024 (date of attaining the age of 65 years)

21	Mr.Chandan Singh Mawri	01.02.2024 to 31.07.2024
22	Mr.Shri Prakash Rai	01.02.2024 to 31.07.2024
23	Mr.Sunil Kumar	01.02.2024 to 31.07.2024

The above named officers would work for six days a week with Second Saturday off and would be entitled to leave as per the provisions contained in the Delhi Petty Offences (Trial by Special Metropolitan Magistrate) Rules, 1998.

By Order of the Court,

Dr. SAURABH KULSHRESHTHA, OSD (Gazette-II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA